वार्षिक शैक्षिक सहायता (प्रतिवर्ष)

(दरें वित्तीय वर्ष 2020–21 से संशोधित)

निधि की उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आर्थिक अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

क्रम सं0	कक्षा स्तर	देय धनराशि (रू0)
क	कक्षा 9–10	6500
ख	कक्षा 11–12	7500
ग	स्नातक स्तर (बी0ए0 तथा बी0काम0, बी0एस0सी0, बी0एड0, बी0बी0ए0 आदि)	8500
घ	स्नातकोत्तर स्तर– (एम0ए0, एम0काम0 एम0एस0सी0 आदि)	11000
च	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स – आई0टी0आई0 एवं अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	13000
छ	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0बी0एस0सी0, एम0बी0ए0,बी0टेक0, एम0बी0बी0एस0 आदि)	30000

अर्हताऐं

शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताऐं आवश्यक हैं :–

(क) शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होते ही दिनांक 31 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।

(ख) कक्षा 9 से तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पिछली कक्षा की अंकतालिका सत्यापित होना अनिवार्य है।

(ग) शैक्षिक सहायता एक पूर्व सैनिक/विधवा के दो बच्चों तक को ही अनुमन्य है।

(घ) केवल हवलदार रैक तक के भू0पू0 सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी। यदि भू0पू0 सैनिक जीवित नहीं है तो जे0सी0ओ0 रैक तक के भू0पू0 सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी।

(च) भू0पू0 सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये।

(छ) **अभ्यर्थी जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, उसी कक्षा के लिये ही आर्थिक सहायता स्वीकृति की जायेगी।**

नोट– **अभ्यर्थी ऑनलाइन फार्म को भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर फार्म के भाग–2 पर स्कूल/कॉलेज/संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाकर अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवार्स कार्यालय में जमा करेंगे।**